



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082026-275464
CG-DL-E-17082026-275464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4365]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4365]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

का.आ. 4545(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कि.मी. 507 +000 से कि.मी. 525+700 तक के (ग्रीनफील्ड हाईवे) के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / छः लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड हाईवे) के कि.मी. 507 +000 से कि.मी. 525+700 तक की भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	ज़िला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 507 से कि.मी 525.7 तक	पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग	नक्सलबाड़ी	1 निमुभितार छाट (जे.एल. नंबर-40)
						2 दमदमा (जे.एल. नंबर- 45)
						3 अटल (जे.एल. नंबर- 53)
					फांसीदेवा	1 पाथर हिरहिरार छाट (जे.एल. नंबर-26)
						2 फकीर द्वीप (जे.एल. नंबर-27)
						3 मोहन लालेर छाट (जे.एल. नंबर- 28)
						4 सस्तुगच्छ (जे.एल. नंबर-29)
						5 कुचिया (जे.एल. नंबर-34)
						6 दंद्राझार (जे.एल. नंबर-35)
						7 कदुभिता (जे.एल. नंबर-36)
						8 ढकनागच्छ (जे.एल. नंबर-37)
					खरीबारी	1 जगीर (जे.एल. नंबर- 39)
						2 थारुभिता (जे.एल. नंबर-59)
						3 बुरागंज (जे.एल. नंबर-62)
						4 अर्जनमल (जे.एल. नंबर- 73)
						5 बगुलाहगी (जे.एल. नंबर-74)
						6 सोना चालनी (जे.एल. नंबर-75)
						7 खड़ीबाड़ी (जे.एल. नंबर-38)

[फा. सं. NHAI/1234]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2026

S.O. 4545(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 507+000 to Km. 525+700 of the Greenfield Highway for building (widening / Six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL

SCHEDULE

Land acquisition on the stretch of land from Km. 507+000 to Km. 525+700 of the Gorakhpur-Siliguri Expressway (Greenfield Highway) in the State of WEST BENGAL.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Magistrate & Collector	No Yet to be Assigned KM 507 TO KM 525.7	WEST BENGAL	DARJEELING	Naxalbari	1 Nimubhitar Chhat (J.L. No.-40)
						2 Damdama (J.L. No. 45)
						3 Atal (J.L. No.- 53)
					Phansidewa	1 Pathar Hirhirar Chhat (J.L. No.-26)
						2 Fakirdwip (J.L. No.- 27)
						3 Mohan Laler Chhat (J.L. No.- 28)
						4 Sastugachh (J.L. No.- 29)
						5 Kuchia (J.L. No.- 34)
						6 Dandrajhar (J.L. No.-35)
						7 Kadubhita (J.L. No.-36)
						8 Dhaknagachh (J.L. No.-37)
					Kharibari	1 Jagir (J.L. No.- 39)
						2 Tharubhita (J.L. No.-59)
						3 Buraganja (J.L. No.-62)
						4 Arjanmal (J.L. No. 73)
						5 Bagulahagi (J.L. No.-74)
						6 Sonachalni (J.L. No.75)
						7 Kharibari (J.L. No.- 38)

[F. No. NHAI/1234]

SHAIKH AMINKHAN, Director